17.10.24 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 251 (ए) RTA का स्वीकार किया जाता है। आदेश की पालना मे तहसीलदार नेगू को आदेश कि प्रति भेजी जावे। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर स्येकम हो।

MY

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 4/2024

1. श्रीमति गेंदाकंवर पति दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
2. भगवानसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
3. श्रीमति सीताबाई पति अम्बालाल जाति कुमावत निवासी राजगढ तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. डंकारलाल पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
2. कमली पति भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
3. किशन पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
4. चांदीबाई पुत्रील भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
5. भवरलाल पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
6. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांकः– 17.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा राजगढ पटवार हल्का राजगढ तह0 बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2078 की खतौनी संख्या 48 में अंकित आराजी संख्या 1010 रकबा 0.4900 हैक्टर कृर्षि आराजीयात प्रार्थी संख्या एक के खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। एवं खतौनी संख्या 176 में अंकित आराजी संख्या 1011 रकबा 1.3100 हैक्टर, आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 1.3600 हैक्टर कृर्षि आराजीयात प्रार्थी संख्या 2 व 3 के संयुक्त सहखातेदारी हक से राजस्व रिकोकर्ड में दर्ज रिकार्ड है जो प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर प्रार्थीगण उक्त भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृर्षि आराजीयात संख्या 1010, 1011 व 1027 (कुऑ) पर पहूँचने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ता आराजी नम्बर 981 नाली की पूलिया से आराजी संख्या 1029, 1028 की उत्तरी सीमा से होता हुआ आराजी संख्या 1027 कुंए पर पहुचता है। जिसको प्रार्थीगण ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केसाथ संलग्न नजरी नक्शे में सपष्ट वर्णित किया है प्रार्थीगण द्वारा नक्शे में वर्णित उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि आराजीयात पर पहुँचकर कृर्षि कार्य कर रहे है परन्तु उक्त कृर्षि आराजयीात पर पहूँचने का उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना करते है एवं रास्ते उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। जिससे प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी की कृर्षि आराजीयात पर कृर्षि कार्य करना संभव नहीं होता है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण की उक्त खेत पडत पडे हुए है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की कृर्षि आराजी के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित अनुसार रास्ते से होकर अपनी कृर्षि आराजीयात पर पहुचते है इसी प्रकार संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में कायम किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित मौजा राजगढ की आराजी संख्या 1010, 1011, 1027 पर पहुँचने के लिए उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण विगत काफी वर्षो से उक्त नजरी नक्शे में वर्णितानुसार रास्ते से ही अपनी कृर्षि आराजीयात पर आ जा रहे है इसलिए प्रार्थीगण का यह सुस्थापित मार्ग है। विपक्षीगण रास्ता वर्णित भूमि के खातेदार है जिनको भी पक्षकार बनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

यह कि विपक्षीगण अपनी आराजीयात पर विद्यमान रास्ते होकर आने जाने से प्रार्थीगण को रोक रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृर्षि आराजीयात पर कृर्षि उत्पादन फसल खाद बीज आदि का निकाल पा रहे है एवं अपने खेत पर आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है विपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त कृर्षि आराजीयात पर आने जाने के रास्ते के उपयोग उपभोग करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है,इसलिए कानूनन विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत हैं। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। यह कि प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने से रोक दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की देखरेख नहीं कर पायेगें एवं प्रार्थीगण अपनी भूमि में फसल आदि की बुवाई नहीं कर पायेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण कृषको अपनी कृर्षि आराजीयात के खातेदारी अधिकारो से वच्छित हो जावेगे।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार वर्णित रास्ते का प्रतिकर जमा किया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें। साक्ष्य में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगणकी ओकर से अधिवक्ता श्री सी.पी. शर्मा द्वारा अपना अधिकार इस प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड के अनुसार अंकित होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थीगण के पास अपना स्थापित पुश्तैनी रास्ता विद्यमान होकर स्थित है, जो निम्न प्रकार हैः—

अ— कि प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा संख्या 1010 एवं 1011 के उत्तर दिशा की तरफ स्थित खसरा संख्या 1006 (खातेदार करण सिंह नन्दकंवर भैरूसिंह पुत्र/पुत्री भवानीसिंह) पर स्थापित रास्ता होते हुए खसरा संख्या 1005 (खातेदार अम्बालाल पिता देवीलाल प्रार्थी संख्या 03 का पति एवं देबा पिता देवीलाल प्रार्थी संख्या 03 का जेठ) की भूमि पर स्थापित रास्ता से होकर 974 नाली पर बनी पुलिया पर होते हुए आम रास्ता 977 पर होकर ग्राम राजगढ में प्रवेश करते है। विपक्षीगण द्वारा दर्शाया या उक्त रास्ता का नजरी नक्शा लालस्याही से दर्शाकर प्रस्तुत हैं ।

ब— कि विपक्षीगण द्वारा दर्शाया उक्त रास्ता पुश्तैनी रास्ता होकर मौके पर मौजूद है। यही नहीं यह रास्ता आराजी खसरा संख्या 1006 से पूर्व की तरफ भी जा रहा है जहां यह रास्ता आगे मुख्य रोड से भी मिल रहा हैं।

स— कि विपक्षीगण द्वारा दर्शाया रास्ता प्रार्थीगण का मुख्य पेश्तैनी एवं अर्सा कदीमी 100 वर्षो से भी पूर्व से स्थापित चालु रास्ता है इस रास्ते से ट्रेक्टर गाडी व अन्य सभी खातेदार भी आते जाते है।

द— कि प्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा अपनी भूमि 1011 मे से 4/17 हिस्सा प्रार्थी संख्या 03 ने क्रय की है, जिसे 02—03 वर्ष हो गये है।

यह कि प्रार्थी संख्या 03 चूंकि इस खाते मे एवं रास्ते में अजनबी होने से खसरा संख्या 1006 के खातेदार करणसिंह नन्रकंवर व भैरूसिंह ने एतराज किया इस कारण प्रार्थी संख्या 03 के रास्ते दिलाने के लिए प्रार्थी संख्या 01 व 02 विक्रेतागण ने षडयंत्र पूर्वक मिलकर नये रास्ते के लिए यह झूंठा एवं गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि विपक्षीगण की अपनी खसरा संख्या 1028, 1029 (अन्य आराजी 1026, 1030, 1031) के पूर्व में खसरा संख्या 961 नाला स्थित है। नाले के पश्चिम तरफ राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजगढ संयुक्त खेल मैदान के खाते की भूमि खसरा संख्या 1398/980 एवं 1397/979 स्थित है। प्रार्थी जहां पर विपक्षी की जमीन से नवीन रास्ता चाह रहा है उसके पश्चिम में स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजगढ संयुक्त खेल मैदान के खाते की भूमि है तथा भू.अ.नि. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भू.अ.नि. ने उसके द्वारा खेल मैदान मे से होकर दर्शाये गलत एवं झूठे रास्ते के अलावा वैकल्पिक पुश्तैनी एवं अर्सा कदीम लगभग 100 वर्षो से स्थापित रास्ता मौके पर मौजूद होते हुए भी नहीं दर्शाया है। यह कि खेल मैदान के अन्दर होकर भू.अ.नि. व तहसीलदार महोदय द्वारा दर्शाये एवं वैकल्पिक स्थायी पुश्तैनी रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थीगण के पास मौजूद वकल्पिक मार्ग है, इसलिए कानूनन नया रास्ता वह भी ोगण एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की खातेदारी की भूमि से कानूनन रास्ता हीं दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दी रेवेन्यु बोर्ड अजमेंर के प्रकरण में दिनांक 04.11.2015 को यह अभिमत निर्धारित किया है कि " वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है एवं विद्यमान रास्ते अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नहीं कर सकता है एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया है। आर आर टी 2014(1) पेज 649 राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड अजमेंर ने अपने निर्णय दिनांक 18. 06.2014 उक्तराम बनाम बृजलाल व अन्य के मामले में यह निर्धारित यिका है कि धारा 251 ए के तहत नया रास्ता तब बनाया जा सकता है जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो" आवश्यकता आत्यन्तिक होनी चाहिए केवल सुविधा आवश्यक नहीं है। यह कि उक्त निर्णयो के आधपार पर चूंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक एवं पुश्तैनी मार्ग उपलब्ध है इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सव्यय निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट जो कि विपक्षीगण के जवाब से पूर्व ही तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 489 दिनांक 17.05.2024 से इस न्यायालय को प्रेषित की है जिसका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है। मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने जो रास्ता चाहा है वह अतिआवश्यक है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं है। प्रस्तावित किया गया रास्ता (पर्चा मौका रिपोर्ट) में न्यनतम दूरी पर है। रास्ता हेतु आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.20 हैक्टर उक्ततर पश्चिमी कोने मे जो लाल स्याही से दर्शाया गया है लम्बाई 8 मीटर चौडाई 4 मीटर यानि 32 वर्गमीटर (0.0032 हैक्टर) दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली में पंजीयन द्वारा रास्ते की भूमि की डी एल सी अनुसार प्रभावित मुआवजा राशि निम्नानुसार दर्शाई है:—

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत राजगढ अनुसार ग्राम राजगढ पटवार हलका राजगढ की आराजी संख्या 1029 मे से 32 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य — डीएलसी 1278255/— है0

डीएलसी का दुगना— 1278255 गुणा 2 यानि 25,56,510/—

प्रभावित काश्तकारो को देय मुआवजा राशि 2556510/10000 गुणा 32 — 8180/—

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1—	1029	उंकारलाल पुत्र भैरूलाल गुर्जर	1/5	1636/—
2—	1029	कमली पत्नी भैरू जाति गूर्जर	1/5	1636/—
3—	1029	किशनलाल पुत्र भैरूलाल गूर्जर	1/5	1636/—
4—	1029	चांदीबाई पुत्री भैरूलाल गूर्जर	1/5	1636/—
5—	1029	भँवरलाल पुत्र भैरूलाल गूर्जर	1/5	1636/—
			कुल योगः—	8180/—

रास्ता रिपोर्ट के साथ संलगन पचौमौका रिपोर्ट भू—अ0नि0वृत राजगढ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के समक्ष यह पचौ मौका रिपोर्ट तैयार कर आज दिनांक को पक्षकारो एवं अन्य मोतबिरानो के समक्ष संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तेयार कर पढा सुना एवं समझाकर हस्ताक्षर/ निशानी लिये गये। अप्रार्थी द्वारा उत्तरी दिशा मे रास्ता होने की बात कही लेहकिन रास्ता दर्ज न होकर खातेदारान है जो निकटतम नहीं हैं।

इस प्रकार पत्रावली में प्राप्त रास्ता मौका रिपोर्ट का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में रिपोर्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट को सही बताते हुए प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजी संख्या 1029 मे से जो रास्ता की लम्बाई एवं चौडाई अनुसार दिलाये जाने तथा उक्त रास्ते में आने वाली भूमि का प्रतिकर जो डीएलसी अनुसार 8180/— बनता है उसे विपक्षीगण को दिये जाने हेतु जमा कराने के लिए प्रार्थीगण का सहमत होना स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब के अनुसार ही बहस करते हुए अन्य रास्ता प्रार्थीगण के कृषि आराजी में पहुँचने का होना बताया तथा न्यायिक दृष्टान्त जो जवाब में अंकित किये है आर आर टी 2014 कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर विद्यमान रास्ते के अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नहीं कर सकते है पर जोर देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पर भी किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत मौका रास्ता रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा त्तरी दिशा मे रास्ता होने की बात कही है लेकिन रास्ता दर्ज न होकर खातेदारान है जो निकटतम भी नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब जो कि पत्रावली मे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रस्तुत किया है, अपने आप में सिद्ध नही होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज आराजी मौजा राजगढ पटवार हल्का राजगढ की आराजी संख्या 1010 रकबा 0.4900 हैक्टर, एवं आराजी संख्या 1011 रकबा 1.3100 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1027 रकबा 0.0500 हैक्टर कृषि आराजी पर पहुँच हेतु विपक्षीगण के खाते में दर्ज आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि मे से रकबा 0.20 हैक्टर उत्तर पश्चिमी कौने में लम्बाई 8 मीटर चौडाई 4 मीटर यानि 32 वर्गमीटर (0.0032 है0) भूमि की डीएल सी दर से राशि 8180/- अक्षरे आठ हजार एक सौ अस्सी रूपये प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को दिये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ के कार्यालय में जमा कराने पर विपक्षीगण के खाते की कृषि आराजी मौजा राजगढ की आराजी संख्या 1029 रकबा 0.2000 हैटर भूमि मे से 0.20 हैक्टर भूमि के उत्तर पश्चिमी कोने मे लम्बाई 8 मीटर चौडाई 4 मीटर कुल 32 वर्गमीटर यानि 0.0032 हैक्टर भूमि बिलानाम सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। सभी संयुक्त खातेदार विपक्षीगण को 8180/- की राशि का भुगतान इस निर्णय में उपर दर्शाये अनुसार किया जावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/512 दिनांक :- 22.10.24

प्रार्थना पत्र संख्या 4/2024 व अनवान श्रीमति गेंदकुंवर बनाम उँकार लाल वगै. प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट में हुए आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)